कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 खण्ड
लो0 नि0 वि0 पिथौरागढ़
(निकट चन्द चौराहा टकाना पिथौरागढ़)

Tele Phone No :- 05964-227045 *Email ID :- eepmgsypithoragarh2@rediffmail.com*

पत्रांक 1453 /9यन्त्री पी0एम0जी0एस0वाई0 दिनांक 23/10/2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़।

विषय :– **जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गंगोलीहाट से रनकोट उप्रेती मोटर मार्ग (प्रपोजल सं0 FP/UK/ROAD/7833/2014) के निर्माण हेतु 1.5375 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

संदर्भ :– **अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 732/X–4–15/1 (412)/2015 दिनांक 13.08.2015**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित मोटर मार्ग वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्वान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन आख्या करते हुये ऑन लाईन प्रविष्टि कर अनुपालन आख्या हार्ड कॉपी में 03 प्रतियों में संलग्न है। अनुरोध है कि विधिवत स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें जिस हेतु अधिरोपित शर्तो का अनुपालन कर आख्या बिन्दुवार निम्नलिखित है :–

शर्त संख्या 01 :– शर्त सं0 01 के अनुपालन में 3.075 है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 708178.00 की धनराशि का चालान ऑनलाईन संलग्न पत्रानुसार अपलोड/जमा किया जा चुका है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम–रनकोट, पट्टी–कू–उप्रेती, तहसील–गंगोलीहाट, जिला–पिथौरागढ़ की सिविल सोयम वनभूमि जिसका क्षेत्रफल 3.075 है0 वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित कर दिया गया है। जिसकी खतौनी की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

शर्त संख्या 02 :– शर्त सं0 02 के अनुपालन में रू0 776952.00 प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थान पर वृक्षारोपण की धनराशि जमा कर दी गयी है।

शर्त संख्या 03 :– शर्त सं0 03 के अनुपालन में रू0 1074712.00 एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कर दी गयी है।

शर्त संख्या 04 :– शर्त सं0 04 के अनुपालन में वचन बद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

शर्त संख्या 05 :– शर्त सं0 05 के अनुपालन कर दिया गया है।

शर्त संख्या 06 :– शर्त सं0 06 का अनुपालन कर दिया गया है।

शर्त संख्या 07 :– शर्त सं0 07 के अनुपालन में वचन बद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

शर्त संख्या 08 :– शर्त सं0 08 के अनुपालन में वचन बद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

P.T.O.

अतः पुनः अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु समरेखण में पडने वाले वृक्षों के छपान/पातन की कार्यवाही के साथ कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान करवाने की कृपा करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार 03 प्रतियों में।
(ऑनलाईन चालान की प्रति, खसरा खतौनी व वचनबद्वता प्रमाण पत्र)

भवदीय

23/10/18

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।

पत्रांक / पी0एम0जी0एस0वाई0 दिनांक /10/2018

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी देहरादून को आपके उक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में उक्त मार्ग के सैद्वान्तिक में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन करते हुए सम्बन्धित अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ के माध्यम से 03 प्रतियों में सलग्न कर प्रेषित है।
2. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/नोडल पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 खण्ड
लो0 नि0 वि0 पिथौरागढ़
(निकट चन्द चौराहा टकाना पिथौरागढ़)

Tele Phone No :- 05964-227045 *Email ID :- eepmgsypithoragarh2@rediffmail.com*

पत्रांक 1453 / 9 याता पी0एम0जी0एस0वाई0 दिनांक 23 / 10 / 2018

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गंगोलीहाट से रनकोट उप्रेती मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5375 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 732/X–4–15/1 (412)/2015 दिनांक 13.08.2015 वनभूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुयी है, के क्रम में विधिवत स्वीकृति हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या 04, 07 व 08 में निम्नानुसार वचनबद्वता की जाती है।

1. सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोतरी होती है तो बढी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
2. प्रयोक्त अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल के संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।
3. प्रयोक्त अभिकरण द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जायेगा।

23/10/18

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़ ।
e-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 2252344
पत्रॉक / दिनांक,पिथौरागढ़, 27अगस्त, 2017 ।

Receipt No. 991
File No. 8 P.M.G.S.Y
Date 29.8.17

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,देहरादून ।

विषयः– **गंगोलीहाट से रणकोट कूॅ उप्रेती मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 1.5375 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन ।**

संदर्भः– वन एवं पर्यावरण अनुभाग 4 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत सं0 732/X-4–15/1(412)/2015 दि0 13–06–2015।

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्र के कम में भारत सरकार पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त सं0 1 के कम में प्रस्तावित वन भूमि के बदले दुगना अवनत वन क्षेत्र 3.075 हे0 ग्राम–रणकोट पट्टी कूॅ उप्रेती तहसील गंगोलीहाट सिविल क्षेत्र की (क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु) जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश सं0 224/सात–100/2015–16 दि0 25–07–2016 से हस्तान्तरित कर वन विभाग के कब्जे में नामातरित/हस्तान्तरित कर दिया गया है, इसी कम में अवगत कराना है कि उक्त सिविल वन भूमि को प्रशासनिक नियंत्रण में वन विभाग के कब्जे में लिया गया है, वर्तमान में उक्त भूमि का स्वामित्व वन विभाग का है।
संलग्नः–यथोपरि ।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

संख्या– 708 / 12-1 दिनांकित ।
प्रतिलिपि जिलाधिकारी,पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 पी0एम0जी0एस0वाई0 पिथौरागढ़, जिला–पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (नोडल वन भूमि) सह0 अभि0 (II) को आवश्यक कार्यवाही हेतु । 29.8.17

Executive Engineer
P.M.G.S.Y. Division
P.W.D. Pithoragarh
Code No 1910
29/8/2017

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 14-09-2016

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	ROAD78332014812
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PMGSY DIVISION PWD PithoragarhPithoragarh
Amount(in Rs)	2559842/-

Amount in Words :Twenty-Five Lakh Fifty-Nine Thousand Eight Hundred and Forty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	15089ROAD78332014812
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore 21/1, 3rd floor Jellita Towers Mission Road Bangalore -560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 14-09-2016

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	ROAD78332014812
Location.	UTTARANCHAL
Address:	PMGSY DIVISION PWD Pithoragarh Pithoragarh
Amount(in Rs)	2559842/-

Amount in Words :Twenty-Five Lakh Fifty-Nine Thousand Eight Hundred and Forty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	15089ROAD78332014812
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore 21/1, 3rd floor Jellita Towers Mission Road Bangalore -560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

उद्धरण खतौनी

ग्राम - रणकोट पट्टी - कु-उप्रेती तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़

खाता संख्या	खातेदार का नाम	फसली वर्ष	खसरा नंबर	क्षेत्रफल हे०	किस्म भूमि	भूराजस्व	विवरण
30	बंजर काबिल आबाद		5	0.019			
			7	0.011			
			20	0.090			वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखंड शासन देहरादून के पत्र संख्या-732/x-4-15/1(412)/2015 दिनांक 13-08-2015 एवं राजस्व अनुभाग 2 के शासनादेश सं०-2173/xviii(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17-12- एवं श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या 2241/सात-100/2015-16 दिनांक जुलाई 25 जुलाई 2016 के परिपालन में खसरा नं० 2080 मध्ये रकबा 1.568 हे०, 2082 मध्ये रकबा 0.903 हे० 2095 मध्ये रकबा 0.375 हे०, 2096 मध्ये रकबा 0.229 हे० कुल 3.075 हे० भूमि वन विभाग के नाम नामांकन किया,
			25	0.001			
			43	0.030			
			52	0.084			
			65	0.064			
			" क्रमशः	" क्रमशः			
		×	2080	2.123			
		×	2082	1.880			
			क्रमशः	क्रमशः			
		×	2095	0.375			
		×	2096	0.240			
			2097	0.270			
			2098	0.195			
			2904	0.083			
			2905	0.500			
			2920	0.040			
			2963	0.015			
			2969	0.015			
			2993	0.020			
	योग		11 9	11.733			

प्रति हस्ताक्षरित -

तहसीलदार/उप तहसीलदार गंगोलीहाट

महोदय,
उद्धरण खतौनी असल गैर ज०वि० खतौनी से तैयार की गयी।

Manju
रा०उ०नि०
जोशी

Receipt No. 2
File No. 8 P.M.G.S.Y.
Date 2-1-2017

Transaction Acknowledgement

Thank you. Your payment has been successfully deposited with the following details. Please quote your transaction reference number for any queries relating to this request.

Proposal No	FP/UK/ROAD/7833/2014
Application No	ROAD78332014812
Proposal Name	Construction of Gangolihat to Rankot Upreti Motor Road
Category	Road
Submission Date	31 Dec 2014
Area Applied	1.5375
Transaction Status	Transaction Successful
Transaction Reference Number	ORBCR52016122900059360
Transaction Date	29 Dec 2016
Payment Amount(in Rs.)	2559842/-
Bank	Corporation Bank
Payment Mode	NEFT/RTGS (Challan)

Funds Demand Details

Compensatory Afforestation	: Rs. 708178/-
Additional Compensatory Afforestation	: Rs. 0/-
Penal Compensatory Afforestation	: Rs. 0/-
Catchment Area Treatment	: Rs. 0/-
Safety Zone	: Rs. 0/-
Additional Charges for protected area	: Rs. 0/-
Net Present Value	: Rs. 1074712/-
Road Side Plantation	: Rs. 776952/-
Total Amount	: Rs. 2559842/-

*** This is a system generated email, please do not reply. ***

Quick reply to <monitoring-fc@nic.in>

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (नोडल वन भूमि) / सहायक अभियन्ता (II) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2.1.17

Executive Engineer
P.M.G.S.Y. Division
P.W.D. Pithoragarh
Code No 1910

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)				Payment Status	Payment Detail			Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/7833/2014 Construction of Gangolihat to Rankot Upreti Motor Road	ROAD78332014812	11378332014812	13-Aug-15	CA:	708178/-,	Addl CA :	0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On	:	12-Sep-16	Demand Letter
					PCA:	0/-,	CAT :	0/-		Bank Name	:	Corporation Bank	
					Safety Zone:	0/-,	Addl PA :	0/-		Mode of Payment	:	NEFT/RTGS (Challan)	
					NPV:	1074712/-,	Road Side Plantation :	776952/-		Challan Generated On	:	14-Sep-16	Generated Challan
					Other Charges1 :	0/-				Transaction Date	:	29-Dec-16	
					Other Charges2 :	0/-							
					Other Charges3 :	0/-							
					Total :	2559842/-							

E.E.

File No. ......
Date 28.8.15
संख्याः /X-4-15/1(412)/2015

प्रेषक,

मीनाक्षी जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तातरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 देहरादूनः दिनांक जुलाई, 2015

विषयः जनपद-पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट से रणकोट उप्रेती मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.5375 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 346/FP/UK/ROAD/7833/2014 दिनांक 27 जुलाई, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद **पिथौरागढ़** में गंगोलीहाट से **रणकोट उप्रेती मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.5375 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग** को प्रत्यावर्तन की **सैद्धान्तिक** स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ0एन0-11-.09-/98 एफ0सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं शासनादेश सं0 एफ0न0-11-09/98-एफ0 सी0 दिनांक 07 नवम्बर, 2014 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रतयावर्तित भूमि के बदले 5.102-हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षति पूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित)जमा की जायेगी। उक्त भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंसोधित) जमा की जायेगी;
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 /1995 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।
5. भारत सरकार पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0-एस0बी0- 25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा की जाएगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं05-3/ 2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकारण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनाराशि का बैंक ड्राफट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
10. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(मीनाक्षी जोशी)
अपर सचिव।

संख्याः /3? (1)/ X-4–15/1(412)/2015, तददिनांकित्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0 आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त अल्मोड़ा।
4. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग। ।
6. अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 पिथौरागढ़।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 तोमर)
संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (द्वि0) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधि0 अभि0
28/8/15

अपर सचिव वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4
उत्तराखण्ड शासन।